

26-8-19

प्रार्थी अपीलार्थी पक्ष के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मूल अपील प्रकरण एवं मियाद बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व मूल अपील के साथ नत्थी किया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, सिरोही